प्रेस नोट दिनांक-01.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चेकिंग अभियान में दिनाँक 30.09.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी द्वारा 37 व्यक्तियों के विरुद्ध, थाना भरतकूप में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा थाना राजापुर में 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खान व उनकी टीम द्वारा मु00सं0 87/2020 धारा 363 भादवि व एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त मुहम्मद हासिम पुत्र इजराजय निवासी गोंडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना भरतकूप

2. का0 उपेन्द्र यादव

3. का0 शिवम मिश्रा